

आम सभा का प्रस्ताव

आज दिनांक 06.01.2013 को “ कृष्ण मोहन रूकमा शिक्षण शोध संस्थान” नामक संस्था के अध्यक्ष पुनम मेहता की अध्यक्षता में एक आम सभा का आयोजन किया गया।

प्रस्ताव संख्या - 01

इस बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस संस्था का निबंधन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 21, 1860 के अन्तर्गत करायी जाय ।

प्रस्ताव संख्या - 02

साथ ही सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया गया कि इस संस्था के निबंधन का भार सचिव राजेश कुमार मेहता पर सौपा जाय ।

अध्यक्ष द्वारा धन्यवाद के बाद सभा समाप्ति की विधिवत घोषणा की गई

पुनम मेहता

ह0/-

अध्यक्ष

प्रमाणित किया जाता है कि यह आम-सभा के प्रस्ताव की सच्ची प्रति है ।

Rajesh kumar mehta
सचिव

पुनम मेहता
अध्यक्ष

“कृष्ण मोहन रूकमा शिक्षण शोध संस्थान”

का

स्मृति पत्र

1. संस्था का नाम :- “कृष्ण मोहन रूकमा शिक्षण शोध संस्थान”
2. निबंधित कार्यालय :- संस्था का निबंधित कार्यालय-
ग्राम+पो0-सराय, थाना-सराय, जिला-वैशाली,
(बिहार), पिन कोड-844125 स्थान परिवर्तन की
सूचना 15 दिनों के अन्दर निबंधन विभाग एवं
अन्य संबंधित विभाग को दे दी जायेगी।
3. कार्यक्षेत्र :- इस संस्था का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत वर्ष होगा।
4. उद्देश्य :-
 - 1) संस्था के द्वारा शिक्षा के प्रचार-प्रसार हेतु विद्यालय एवं शिक्षण संस्थान का संचालन तथा शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देना एवं संचालित करना। मेधावी गरीब छात्रों को प्रोत्साहित करना ।
 - 2) संस्था के द्वारा लोगों के शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक रूप से कार्य करेगी, खासकर गरीब एवं पिछड़े क्षेत्र में वैकल्पिक शिक्षा नवाचारी शिक्षा, व्यस्क शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, बाल विद्यालय, रात्रि पाठशाला, पुस्तकालय, वाचनालय, का संचालन करना ।
 - 3) संस्था के द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवक/युवतियों को टंकण कला, आशुलिपि, कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर, कम्प्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडिया, टी0वी0, अन्य तकनीकी ज्ञान के बारे में प्रशिक्षण देना। महिलाओं को स्वावलंबी बनाने हेतु सिलाई, कटाई, बुनाई, कशीदाकारी पेन्टिंग, गुड़िया निर्माण, हस्तकला, शिल्प कला, हैण्डीक्राफ्ट, आदि के बारे में जानकारी देना।
 - 4) संस्था के द्वारा कृषि एवं बागवानी के विकास हेतु कृषकों को उन्नत बीज, उन्नत खाद, सिंचाई के उपर्युक्त साधन, जलछाजन, जल संचयन, नलकूप, तालाब, आदि उपलब्ध कराना।
 - 5) संस्था के द्वारा सुदूर ग्रामीण एवं उपेक्षित क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार के लिए कार्य करना तथा मातृत्व सेवा केन्द्र, अनाथालय, विश्रामगृह, कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल, वृद्धा आश्रम, परित्यक्त आश्रम, विधवा आश्रम आदि का संचालन करना।
 - 6) संस्था के द्वारा दलित, पिछड़े वर्ग के बाल स्वास्थ्य, महिला कल्याण एवं नारी सशक्तिकरण की दिशा में प्रदत्त दायित्व का निर्वाह करते हुए उनकी प्रगति के लिए कार्य करना। बाल-श्रमिक, महिला श्रमिक एवं अन्य श्रमिकों के कल्याणार्थ कार्यक्रमों का संचालन करना।


Rajesh K. Mehta

Rajesh K. Mehta





- 7) संस्था के द्वारा महिलाओं एवं बच्चों को चौमुखी विकास हेतु आगंनबाड़ी, बालबाड़ी, महिला मंडल, स्वयं सहायता समूह, पालनागृह, पौष्टिक आहार केन्द्र एवं ग्रामीण रोजगार योजनाओं का संचालन करना ।
- 8) संस्था के द्वारा विधवा वृद्ध, विकलांग, गरीब तथा अनाथ बच्चों के लिए आश्रम स्थल, भोजन, मुफ्त चिकित्सा प्रदान करना शिक्षा की व्यवस्था करना एवं महिला संगठनों का गठन करना ।
- 9) संस्था के द्वारा बाढ़, अकाल, महामारी, सुखाड़ एवं अन्य आकस्मिक आपदाओं में शिविर लगाकर राहत कार्यक्रम संचालित करना ।
- 10) संस्था के द्वारा महादलित, दलित, पिछड़े वर्ग के बाल स्वास्थ्य महिला कल्याण एवं नारी सशक्तिकरण की दिशा में प्रदत्त का निर्वाह करते हुए उनकी प्रगति के लिए कार्य करना । बाल-श्रमिक, महिला श्रमिक एवं अन्य श्रमिकों के कल्याणार्थ कार्यक्रमों का संचालन करना ।
- 11) संस्था के द्वारा आदर्श ग्राम के निर्माण के लिए पर्यावरण एवं वृक्षारोपण की समुचित व्यवस्था करना, गन्दी बस्तियों की सफाई, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, स्वच्छता अभियान, शौचालय एवं स्नानागार की समुचित व्यवस्था करना ।
- 12) संस्था के द्वारा समाज के गरीब, अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़ों के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक शैक्षणिक विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करना । विभिन्न स्तरों की शिविर, गोष्ठी, सम्मेलन का आयोजन करना ।
- 13) देश की एकता, अखण्डता, आपसी सद्भावना कार्यक्रमों का संचालन करना उपभोक्ता संरक्षण, पंचायती राज, वयस्क मताधिकार, मानवाधिकार आदि की जानकारी देना एवं जागरूक करना ।
- 14) संस्था के द्वारा लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा हेतु स्वास्थ्य सेवा, तकनीकी प्रशिक्षण आदि का संचालन करना एवं टी0वी0, हेपेटाईटिस बी0, कालाजार, हृदय रोग, आँखों की बिमारी, पोलियो, कैंसर, असाध्य रोग एवं एड्स से बचने के लिए आवश्यक जानकारी एवं दवा उपलब्ध कराना एवं अन्य नई-नई बिमारीयों से बचने के लिए प्रचार-प्रसार करना ।
- 15) संस्था के द्वारा स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों के अन्तर्गत परिवार कल्याण की समुचित जानकारी एवं पोलिया उन्मूलन जागरूकता अभियान, टीकाकरण, कैंसर जैसे असाध्य रोगों से बचने के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करना कुष्ठ रोगियों के उपचार की व्यवस्था करना ।
- 16) संस्था के द्वारा लोगों को लघु उद्योग, कृषि उद्योग, गृह उद्योग, खादी ग्रामोद्योग का प्रशिक्षण, पशुपालन, रेशम कीट पालन, घृत मक्खन निर्माण, डेयरी प्रोजेक्ट, मधुमक्खी पालन, चरखा एवं हस्त उद्योग का संचालन करना ।
- 17) संस्था के द्वारा नृत्य कला एवं संगीत नाट्य तथा ललित कला के प्रचार प्रसार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था करना ।

Rajesh R. Mehta

मि. राजेश मेहता






5. निम्नलिखित व्यक्ति जिनका नाम, पिता/पति का नाम, पता, पेशा, पद एवं फोटो नीचे दिया गया है वर्तमान कार्यकारिणी समिति के सदस्य है जिनपर संस्था के नियमानुसार प्रबंध का भार सौपा गया है :-

क्र०	नाम, पिता/पति का नाम	पता	पेशा	पद	फोटो
1.	पुनम मेहता पति-राजेश कुमार मेहता	50 गाँव-महनार नगरपालि, गाँव-महानार नगर पंचायत, अंचल-महनार, जिला-वैशाली	समाजसेवा	अध्यक्ष	
2.	राजेश कुमार मेहता पिता-कृष्ण मोहन मेहता	50 गाँव-महनार नगरपालि, गाँव-महानार नगर पंचायत, अंचल-महनार, जिला-वैशाली	समाजसेवा	सचिव	
3.	राजीव कुमार मेहता पिता-कृष्ण मोहन मेहता	50 गाँव-महनार नगरपालि, गाँव-महानार नगर पंचायत, अंचल-महनार, जिला-वैशाली	समाजसेवा	कोषाध्यक्ष	
4.	रंजन कुमार मेहता पिता-कृष्ण मोहन मेहता	50 गाँव-महनार नगरपालि, गाँव-महानार नगर पंचायत, अंचल-महनार, जिला-वैशाली	समाजसेवा	सदस्य	

Rajesh K. Mehta

दिनांक 12/11/2022

[Handwritten signature]









क्र०	नाम, पिता/पति का नाम	पता	पेशा	पद	फोटो
5.	संजीव कुमार मेहता पिता-कृष्ण मोहन मेहता	50 गाँव-महनार नगरपालि, गाँव-महानार नगर पंचायत, अंचल-महनार, जिला-वैशाली	समाजसेवा	सदस्य	 संजीव कुमार मेहता
6.	अमृता कुमारी पति-राजीव कुमार मेहता	50 गाँव-महनार नगरपालि, गाँव-महानार नगर पंचायत, अंचल-महनार, जिला-वैशाली	समाजसेवा	सदस्य	 अमृता कुमारी
7.	रामविलास सिंह पिता-स्व० रामलगन सिंह	गाँव-अकबर मलाही, पो०-सराय, जिला-वैशाली	समाजसेवा	सदस्य	

Rajesh K. Mehta

मिहता-संजीव
५५

[Handwritten signature]

6. निम्नलिखित व्यक्ति जिनका नाम, पिता/पति का नाम, पता, पेशा एवं हस्ताक्षर नीचे दिया गया है वर्तमान में इस संस्था के सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21, 1860 के अन्तर्गत निबंधन के आकांक्षी है :-

क्र०	नाम, पिता/पति का नाम	पता	पेशा	फोटो	हस्ताक्षर
1.	पुनम मेहता पति-राजेश कुमार मेहता	50 गाँव-महनार नगरपालि, गाँव-महानार नगर पंचायत, अंचल-महनार, जिला-वैशाली	समाजसेवा		
2.	राजेश कुमार मेहता पिता-कृष्ण मोहन मेहता	50 गाँव-महनार नगरपालि, गाँव-महानार नगर पंचायत, अंचल-महनार, जिला-वैशाली	समाजसेवा		
3.	राजीव कुमार मेहता पिता-कृष्ण मोहन मेहता	50 गाँव-महनार नगरपालि, गाँव-महानार नगर पंचायत, अंचल-महनार, जिला-वैशाली	समाजसेवा		
4.	रंजन कुमार मेहता पिता-कृष्ण मोहन मेहता	50 गाँव-महनार नगरपालि, गाँव-महानार नगर पंचायत, अंचल-महनार, जिला-वैशाली	समाजसेवा		

Rajesh K. Mehta




26/04/13

ATTESTED

पं०

26/04/13

NOTARY (P.K. Singh)
VAISHALI, N.N. 7424/123

क्र०	नाम, पिता/पति का नाम	पता	पेशा	फोटो	हस्ताक्षर
5.	संजीव कुमार मेहता पिता-कृष्ण मोहन मेहता	50 गाँव-महनार नगरपालि, गाँव-महानार नगर पंचायत, अंचल-महनार, जिला-वैशाली	समाजसेवा		संजीव कुमार मेहता
6.	अमृता कुमारी पति-राजीव कुमार मेहता	50 गाँव-महनार नगरपालि, गाँव-महानार नगर पंचायत, अंचल-महनार, जिला-वैशाली	समाजसेवा		अमृता कुमारी
7.	रामविलास सिंह पिता-स्व० रामलगन सिंह	गाँव-अकबर मलाही, पो०-सराय, जिला-वैशाली	समाजसेवा		रामविलास सिंह

Rajesh K. Mehta

रामविलास सिंह

12/03/14

प्रमाणित किया जाता है कि क्रमांक 1 से 7 पर अंकित व्यक्तियों को मैं जानता एवं पहचानता हूँ। ये मेरे समक्ष हस्ताक्षर किया है।

हस्ताक्षर,

पद०

पदनाम, पता एवं मुहर

ATTESTED

26/04/13
NOTARY (P.K. Singh)
VAISHALI.-N.N.-7424/12J

“कृष्ण मोहन रूकमा शिक्षण शोध संस्थान”

की

नियमावली

1. संस्था का नाम : “कृष्ण मोहन रूकमा शिक्षण शोध संस्थान”
 - क) संस्था का अभिप्राय है : “कृष्ण मोहन रूकमा शिक्षण शोध संस्थान”
 - ख) समिति से अभिप्राय है : संस्था की कार्यकारिणी समिति ।
 - ग) पदाधिकारी का अभिप्राय है : अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष ।
 - घ) वित्तीय वर्ष का कार्य है : 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ।
 - इ) ऐक्ट से अभिप्राय है : सोसायटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21, 1860

3. सदस्यता :

प्रत्येक व्यक्ति जिनका उम्र 18 वर्ष से अधिक की हो जो संस्था के नियमों एवं उद्देश्यों का निष्ठा पूर्वक पालन करते हों वे संस्था के सदस्य बन सकते हैं। सदस्यता ग्रहण करने हेतु उसे विहित प्रपत्र में आवेदन देना होगा, जिसकी स्वीकृति या अस्वीकृति कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रदान की जायेगी। संस्था के प्रत्येक सदस्य को 51/- रुपये प्रवेश शुल्क एवं 25/- रुपये वार्षिक सदस्यता शुल्क देना अनिवार्य होगा।

4. सदस्यता से विमुक्ति :-

निम्नलिखित दशाओं में सदस्यों की सदस्यता समाप्त की जायेगी

- क) स्वयं त्याग पत्र देने पर
- ख) पागल या दिवालिया घोषित होने पर ।
- ग) न्यायालय द्वारा किसी फौजदारी मुकदमों में सजा पाने पर ।
- घ) सदस्यता शुल्क नहीं देने पर ।
- इ) लगातार तीन बैठकों में बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहने पर ।
- च) अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर ।
- छ) संस्था के नियमों एवं उद्देश्यों के विरुद्ध आचरण करने पर ।

5. कार्यकारिणी समिति का गठन :-

- क) कार्यकारिणी समिति में पदाधिकारी सहित कम से कम 7 सदस्यों की होंगे।
- ख) समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का चुनाव आमसभा के द्वारा किया जायेगा

कृष्ण मोहन
रूकमा

Raichu kr. Meht

- ग) कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल तीन वर्षों का होगा। सेवा निवृत्त सदस्य पुनः चुने जा सकते हैं।
- घ) यदि किसी कारणवश समिति में कोई पद रिक्त होगा तो उक्त पद पर किसी व्यक्ति को मनोनित कर सकती है। किन्तु वार्षिक बैठक में विधिवत चुनाव करा लेना होगा। मनोनित सदस्य उसी पद के अनुरूप कार्य करेंगे जिस पद के लिए उनका मनोनयन किया गया हो।

6. कार्यकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य :-

- क) संस्था के चल या अचल सम्पत्ति के उत्तरदायी होगा।
- ख) संस्था के सभी कार्यों का सम्पादन विधिवत करना तथा प्रस्ताव पारित करना।
- ग) शाखा एवं उप शाखा का गठन करना।
- घ) उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य करना।
- ङ) संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विचार विमर्श करना।
- च) संस्था के प्रति होने वाली नियंत्रण को बरकरार रखना।

7. आमसभा के अधिकार एवं कर्तव्य :

- क) समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का निर्वाचन करना।
- ख) संस्था के आय-व्यय लेखा पर विचार करना तथा स्वीकृति देना।
- ग) अंकेक्षक की नियुक्ति करना।
- घ) अध्यक्ष की राय से अन्य विषय पर विचार करना।

8. बैठक :

- क) कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह में होगी।
- ख) आम सभा की बैठक प्रत्येक वर्ष के अप्रैल माह में होगी।
- ग) कार्यकारिणी समिति की अत्यावश्यक बैठक कभी भी बुलायी जा सकती है।
- घ) आम सभा की विशेष बैठक कभी भी बुलायी जा सकती है।

9. प्रार्थित बैठक :

दो तिहाई सदस्यों की लिखित मांग पर आवेदन प्राप्त कर के एक माह के अन्दर सचिव को बैठक बुलाना होगा। आवेदन पत्र में विचारणीय विषय का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। यदि सचिव उक्त अवधि के अन्दर बैठक नहीं बुलाते हैं तो आवेदकों को अधिकार होगा कि आवेदन में उल्लिखित विषय के निर्णय हेतु उक्त अवधि के उपरान्त बैठक का आयोजन कर सकते हैं।

10. बैठक की सूचना :

- क) कार्यकारिणी समिति की बैठक की सूचना-7 दिन पूर्व दी जाएगी।
- ख) आम सभा के साधारण बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व दी जाएगी।
- ग) कार्यकारिणी समिति की आवश्यक बैठक की सूचना 48 घंटे पूर्व दी जाएगी।
- घ) बैठक की सूचना डाक पंजी या विशेष दूत द्वारा दी जाएगी।
- ङ) आम सभा की आवश्यक बैठक की सूचना 10 दिन पूर्व दी जाएगी।

32

Rajesh K. Mehta

11. पदाधिकारियों का कर्तव्य एवं अधिकार :-

अध्यक्ष :

- क) संस्था के प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करना ।
- ख) कार्यवाही पंजी पर अपना हस्ताक्षर करना ।
- ग) किसी विषय पर समान मत होने की स्थिति में अपने निर्णायक मत का उपयोग करना ।
- घ) उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य करना ।

सचिव :

- क) संस्था के प्रत्येक बैठक का आयोजन करना ।
- ख) बैठक की कार्यवाही को कार्यवाही पंजी में अंकित करना तथा अध्यक्ष से हस्ताक्षर कराकर अपना हस्ताक्षर करना ।
- ग) प्रत्येक पंजी एवं कागजातों को सुरक्षित रखना ।
- घ) संस्था की ओर से पत्राचार करना ।
- ङ) संस्था के आय-व्यय का अंकेक्षण करना ।
- च) कर्मचारियों की नियुक्ति एवं बर्खास्तगी के आदेश कार्यकारिणी समिति के सलाह पर करना ।
- छ) संस्था के हित में कार्य करना ।
- ज) आवश्यकता पड़ने पर समिति के बिना पूर्वानुमति के 1000/- रू0 तक व्यय करना ।
- झ) उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य करना ।

कोषाध्यक्ष :

- क) संस्था के आय-व्यय का हिसाब रखना और सचिव के द्वारा बैठक में प्रस्तुत करना ।
- ख) प्रवेश शुल्क सदस्यता शुल्क दान चन्दा प्राप्त कर रसीद देना ।
- ग) संस्था के कोष किसी बैंक या डाकघर में संस्था के नाम से जमा करना ।

12. कोष का संचालन :

संस्था के कोष का संचालन संस्था के नाम खुले डाकघर या किसी बैंक खाते में जमा की जायेगी तथा सभी रकम की निकासी अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो के संयुक्त हस्ताक्षर से की जायेगी ।

13. कोरम :

प्रत्येक बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत होगा । कोरम के अभाव में बैठक स्थगित हो जायेगी ।

14. आय का साधन :

- क) प्रवेश शुल्क एवं सदस्यता शुल्क ।
- ख) सरकारी, गैर-सरकारी दान, अनुदान ।
- ग) सहायता से ।

मिलानाम
2/2



Rajesh K. Mehta

15. पंजी का निरीक्षण :

संस्था की सभी पंजी निबंधित कार्यालय में जमा रहेगी। जहाँ कोई भी सदस्य सचिव की अनुमति से सदस्य पंजी, लेखा पंजी एवं कार्यवाही पंजी का निरीक्षण कर सकते हैं।

16. निधि का अंकेक्षण :

- क) संस्था की आय-व्यय का लेखा नियमित रूप से रखा जायेगा तथा आम सभा द्वारा नियुक्त अंकेक्षक से प्रतिवर्ष अंकेक्षण कराया जायेगा।
- ख) निबंधन महानिरीक्षक कभी भी अपने विवेक से संस्था का अंकेक्षण किसी मान्यता प्राप्त चाटर्ड एकाउन्टेंट से करा सकते हैं इस अंकेक्षण हेतु चाटर्ड एकाउन्टेंट का शुल्क संस्था द्वारा वहन किया जायेगा।

17. कानूनी कार्रवाई :

संस्था पर या संस्था के द्वारा कानूनी कार्रवाई सचिव के पदनाम से होगी तथा अधिवक्ता की नियुक्त समिति की सलाह से की जायेगी।

18. नियमावली में संशोधन :-

नियमावली में किसी भी प्रकार का संशोधन आम सभा के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही किया जायेगा।

19. विघटन :

- क) आम सभा के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही संस्था का विघटन किया जायेगा।
- ख) संस्था के विघटनोपरांत जो चल या अचल संपत्ति बचेगी वह किसी सदस्य या गैर सदस्यों में नहीं बांटी जायेगी बल्कि आम सभा के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर समान उद्देश्य वाली दूसरी संस्था या सरकार को दे दी जायेगी
- ग) संस्था का विघटन संस्था अधिनियम 21, 1860 की धारा 13 के आलोक में सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही किया जायेगा।

प्रमाणित किया जाता है कि यह नियमावली की सच्ची प्रति है।

पूनाम मेहता

अध्यक्ष

Rajesh Kr. Mehta
सचिव

Rajesh Kumar Mehta
कोषाध्यक्ष

मिनामिनी
52

REC. 2080
12/03/14

Rajesh Kr Mehta

पत्र संख्या बी०एस०^३-१० १०६/२०१५-२४० /

निबंधन महानिरीक्षक, बिहार, पटना का कार्यालय, बिहार।

(दाखिल करने का प्रमाण-पत्र)

“कृष्ण मोहन रुक्मा शिक्षण
शोध संस्थान”

के संबंध में।

पटना, दिनांक- १५-३-१५

प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित आलेख्य सोसाईटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट २१, १८६० के उपबंधों के अनुसार यथावत दाखिल/निबंधित/अभिलिखित किया/किये गये है।

फीस का ज्ञाप रु० ५०/- (पचास रुपये) मात्र।

संस्था का स्मृति-पत्र/नियमावली एवं आम सभा के प्रस्ताव की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।

NEC 12/03/14

वास्ते, निबंधन महानिरीक्षक,
बिहार, पटना।

श्री. शंभू कुमार मेहता, सचिव,

“कृष्ण मोहन रुक्मा शिक्षण शोध संस्थान”

ग्राम + पो. + थाना - सराय, जिला - वैशाली,

(बिहार), पिनकोड - ८५५१२५.

०३०२१००००००१३०१५०६

की रोवा में उनके आवेदन संख्या-

दिनांक- ३१-१२-१३

के प्रसंग में अग्रसारित।

निबंधन प्रमाण-पत्र संलग्न है। प्राप्ति की सूचना दें।

NEC 12/03/14

वास्ते, निबंधन महानिरीक्षक,
बिहार, पटना।